# ग्राम पंचायत ग्याणा, विकास खंड कुनिहार, जिला सोलन के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

## भाग–1

**1 ( क) प्रस्तावना:–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने एवं संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्यां PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07/04/2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० को सोंपने जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत ग्याणा, विकास खंड कुनिहार, जिला सोलन का अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:–** ग्राम पंचायत ग्याणा, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन (हि0प्र0) के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

| क्र0सं0 | गम्भीर अनियमितताओं का सार | पैरा सं0 | ``₹ लाखों में |
|---|---|---|---|
| 1 | वित्तीय स्थिति एवं बैंक शेष में अन्तर | 4 (2) | 0.54 |
| 2 | प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय करना | 7 (i) | 1.09 |
| 3 | अनुदानों का निर्धारित अवधि के दौरान उपयोग न करना | 7 (ii) | 6.13 |
| 4 | बिना औपचारिकताएँ पूर्ण किए क्रय करना | 11 | 3.16 |
| 5 | क्रय निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न दर्शाना | 17 (ii) | 3.57 |

**(ग) अंकेक्षण अवधि के दौरान परिशिष्ट "ग" के अनुसार ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:–**

| प्रधान | अवधि | पंचायत सचिव | अवधि |
|---|---|---|---|
| श्रीमती हीरा कौशल | 01/04/2013 से 22/01/2016 | श्री अशोक कुमार | 01/4/2013 से 31/03/2016 |
| श्रीमती मीरा भटी | 23/01/2016 से 31/03/2016 | | |

## भाग –2

**2 वर्तमान अंकेक्षण:–**

ग्राम पंचायत ग्याणा अवधि 01-04-2013 से 31.3.2016 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शायें गए है, श्री पुनीश सागर अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 20.2.2017 से 28.2.2017 के दौरान विकास खंड कार्यालय, कुनिहार में किया गया। अंकेक्षण के दौरान आय की विस्तृत जांच हेतु माह 08/13, 07/14 व 03/16 तथा व्यय हेतु माह 01/14, 10/14 व 11/15 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शायें गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्कः-**

ग्राम पंचायत ग्याणा के लेखाओं अवधि 4/13 से 3 /16 तक का अंकेक्षण ₹6000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां 83, दिनांक 25/02/2017 द्वारा उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को भेजने हेतु अनुरोध कर दिया गया था।

4 **वित्तीय स्थितिः-**

**(क) स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानः-**

**(i)** सचिव, ग्राम पंचायत ग्याणा द्वारा प्रस्तुत स्व-स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "क"** के अनुसार निम्न प्रकार से थी।

| वित्त वर्ष | आरम्भिक शेष (`₹) | आय (₹) | कुल योग (₹) | व्यय (₹) | अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 302752.22 | 819944 | 1122696.22 | 662825 | 459871.22 |
| 2014-15 | 459871.22 | 589142 | 1049013.22 | 601099 | 447914.22 |
| 2015-16 | 447914.22 | 846481 | 1294395.22 | 364496 | 929899.22 |

**(ii) दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में ₹0.54 लाख का अन्तरः-**

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष =929899.22—(1)

दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक खातों का तथा हस्तगत शेष शेष= 876288-- (2)

[876271/- (विभिन्न बैंक्स में ) + 17( हस्तगत रोकड़ )] इस प्रकार रोकड़ वही तथा बैंक खातों के जमा में `₹53611.22 (929899.22-876288) का अन्तर पाया गया।

**नोटः**–कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अंतर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31/03/16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण समक्ष प्रस्तुत की गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों में ₹53611.22 के अंतर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिचित की जाए।

**(ख) Water shed :-**

ग्राम पंचायत ग्याणा के वाटर शेड से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "क"** के अनुसार निम्न प्रकार से है।

| वित्त वर्ष | आरम्भिक शेष (₹) | आय (₹) | कुल योग (₹) | व्यय (₹) | अंतिम शेष (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 117239 | 65652 | 182891 | 105202 | 77689 |
| 2014-15 | 77689 | 3135 | 80824 | 0 | 80824 |
| 2015-16 | 80824 | 1601 | 82425 | 40000 | 42425 |

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष =42425.00 (1)

**(परिशिष्ट "क")**

दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक खातों/बही खातों के अनुसार शेष=43424.00 (2)

**(परिशिष्ट "क")**

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तरः– `₹999 (2–1)

**नोटः–** कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अंतर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31/03/16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण समक्ष प्रस्तुत की गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों ₹999/– के अंतर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिचित की जाए।

**(ख) मनरेगाः–**

ग्राम पंचायत ग्याणा के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "क"** के अनुसार निम्न प्रकार से है।

| वित्त वर्ष | आरम्भिक शेष (₹) | आय (₹) | कुल योग (₹) | व्यय (₹) | अंतिम शेष (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 30860 | 1050529 | 1081389 | 1094238 | -12849 |
| 2014-15 | -12849 | 73980 | 61131 | 73551 | -12420 |
| 2015-16 | -12420 | 89698 | 77278 | 89698 | -12420 |

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष = -12420.00 (1)

**(परिशिष्ट “क”)**

दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक खातों/ बही खातों के अनुसार शेष =4/-- (2)

**(परिशिष्ट “क”)**

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर:- 12424/- (2-1)

**नोट:-** कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अंतर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31/03/16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण समक्ष प्रस्तुत की गई। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों ₹12424/- के अंतर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिचित की जाए।

**(घ) PMGY:-**

ग्राम पंचायत ग्याणा के PMAGY से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट “क”** के अनुसार निम्न प्रकार से है।

| वित्त वर्ष | आरम्भिक शेष (₹) | आय (₹) | कुल योग (₹) | व्यय (₹) | अंतिम शेष (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 0 | 1477355 | 1477355 | 961340 | 516015 |
| 2015-16 | 516015 | 491828 | 1007843 | 624793 | 383050 |

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष =383050.00 (1)

दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक खातों/ बही खातों के अनुसार शेष=₹424342 (2)

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर:- ₹41292/- (2-1)

**नोट:-** कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अंतर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31/03/16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण समक्ष प्रस्तुत की गई। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों ₹41292/- के अंतर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिचित की जाए।

6 **वित्तीय स्थिति में दर्शाए गए आरम्भिक शेषों बारे :-**

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट “क”)** के अनुसार दिनांक 01/04/2013 को जो आरम्भिक शेष उठाए गए थे यह आरम्भिक शेष Trial balance वर्ष 2012-13 **(परिशिष्ट “क”)** में से उठाए गए थे। परन्तु खाता बही प्रस्तुत न किये जाने के कारण 31/03/13 को Trial balance में विभिन्न बैंकों के दर्शाए गए शेषों का बही खाते (ledger) में 31/03/13 को दर्शाए गए शेषों से मिलान नहीं हो पाया। इस कारण आरम्भिक शेष के अंतर्गत दर्शाए गये विभिन्न बैंकों के शेष बही खाता में दर्शाए गये बैंकों के शेष के अनुसार हैं तथा सही हैं इस तथ्य की पुष्टि नही की जा सकी। अत: सम्बन्धित बही खाता आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए ताकि दिनांक 01/04/13 को उपरोक्त परिशिष्ट के अनुसार गए आरम्भिक शेष सही है इस तथ्य की पुष्टि की जा सके।

**7 विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित जानकारी में पाई गई अनियमितताओं बारे :-**

अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत शेषों, प्राप्तियों तथा भुगतानों बारे उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ख")** पंचायत द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में तैयार की गई वार्षिक आय व्यय विवरणी (RD) तथा तुलन पत्र के आधार पर बनाई गई थी। उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

**(i) प्राप्त अनुदानों से ₹1.09 लाख का अधिक व्यय करना:-**

**परिशिष्ट "ख"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित अनुदानों का शेष दिनांक 31/03/16 को ₹108530/- ऋणात्मक दर्शाया गया था जिसके बारे में चर्चा के दौरान संतोषजनक उत्तर नही दिया गया। अतः अनुदानों की राशि को ऋणात्मक दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अनियमितता का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

| **अनुदान का शीर्ष** | **दिनांक 31/03/16 को शेष** |
|---|---|
| मानदेय चौकीदार | 43433.00 |
| मानदेय सिलाई अध्यापिका | 24060.00 |
| मानदेय कीमेन | 2450.00 |
| ICDS | 33587.00 |
| TSC | 5000.00 |
| **कुल योग** | **108530.00** |

**(ii) विभिन्न अनुदानों से प्राप्त ₹6.13 लाख का निर्धारित अवधि के दौरान उपयोग न करना :-**

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ख")** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31/03/16 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹613221/- उपयोग हेतु शेष थी जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। जिससे यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नही किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अत: अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31/03/2016 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उन से सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

**(iii) विभिन्न अनुदानों के दर्शाए गए वार्षिक आय व्यय में अंतर होने बारे:-**

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "क"** तथा **परिशिष्ट "ख"**" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि अनुदानों के वार्षिक आय व्यय में निम्नानुसार अंतर था जबकि दोनों जानकारियों में वार्षिक आय/व्यय की राशियाँ एक समान होनी चाहिए थी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अंतर के कारण चिन्हित करके तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

| वित्त वर्ष | परिशिष्ट “क” के अनुसार वार्षिक आय व्यय | | परिशिष्ट “ख” के अनुसार वार्षिक आय व्यय | |
|---|---|---|---|---|
| | आय | व्यय | आय | व्यय |
| 2013-14 | 819944.00 | 662825.00 | 549592.00 | 416981.00 |
| 2014-15 | 589142.00 | 601099.00 | 521159.00 | 578069.00 |
| 2015-16 | 846481.00 | 364496.00 | 724762.00 | 267938.00 |

**(iv) अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारे:-**

अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित खाता बही/अनुदान रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण तुलन पत्रों तथा अनुदानों से सम्बन्धित जानकारी में दर्शाए गए विभिन्न अनुदानों के आरम्भिक तथा अंतिम शेषों के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। **परिशिष्ट “ख”** " में दर्शाए गए विभिन्न अनुदानों के आरम्भिक शेष ग्राम पंचायत के दिनांक 31/03/2013 से सम्बन्धित तुलन पत्र में दर्शाए गए शेषों के अनुसार हैं। उपरोक्त अभिलेख न दर्शाए जाने के कारण **परिशिष्ट “ख”** में सभी अनुदानों के शेषों बारे जानकारी न उपलब्ध करवाई गई हो इस सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 **सावधि निवेश:-**

**परिशिष्ट “ग”** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशी सावधि जमा योजना में निवेश नही की गई थी जबकि हि०प्र० पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा योजना में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। यह प्रतीत होता हो कि इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अत: यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गये निदेशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

9 **रोकड़ बही से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे :-**

**(i) रोकड़ वही को नियमानुसार तैयार न करनाः-**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्याः 1 से 50 में वर्णित आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम-3 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक पंचायत ने अपनी आय के स्त्रोतों की रोकड़ वही में कुछ अनुदानों की आय को भी सम्मिलित किया

गया था व शेष अनुदानों हेतु तीन रोकड वहियां अलग से लगाई गई थी, जो अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में नियमानुसार पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप रोकड़ वही का रख-रखाव करने के साथ बैंक बचत खातों को खोला जाना सुनिश्चित किया जाए।

**(ii) रोकड़ बहियों के रख रखाव बारे :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। कई माहों के अंत में नियमानुसार प्रधान द्वारा प्रमाण पत्र दिया जा रहा था। वित्त वर्ष के अंत में बनाई गई आय व्यय से सम्बन्धित विवरणी (RD) का भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था। अधिकतम वाउचर्स पर प्रस्ताव संख्यां नहीं लिखी गई थी। रोकड़ बही में कई प्रविष्टियाँ का सत्यापन नहीं किया गया था तथा कटिंग्स की गई थी। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में हि० प्र० पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7(1,2 व 3) तथा 10 (3) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से किया जाए।

10 **आय :-**

**(i) ₹0.07 लाख गृह कर की वसूली न करना :-**

**(क)** ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹85/- [6360(318x20)-6275] तथा वित्त वर्ष 2015-16 में ₹6440(322x20) तथा कुल ₹6525/-(85+6440) गृह कर की वसूली नहीं की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹6525/- की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में गृह कर की वसूली नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा गृह कर (₹10/- तथा ₹20/- प्रति वर्ष) के निर्धारण से सम्बन्धित पारित प्रस्ताव भी आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए क्योंकि अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बाद भी यह प्रस्ताव अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

**(ख)** अंकेक्षण के दौरान गृह कर मांग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित कोई अभिलेख/रजिस्टर अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह प्रतीत होता है या तो इस अभिलेख का रख रखाव ही नही किया जा रहा था या इसे पूर्ण updateनहीं किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर पूर्ण करके प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**(ii) भू राजस्व की वसूली न करना :-**

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत को वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित भू राजस्व की सम्बन्धित विभाग से प्राप्ति नहीं हुई थी। अतः भू राजस्व की नियमानुसार देय राशि सम्बन्धित विभाग से वसूल न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा राशि की वसूली हेतु सम्बन्धित विभाग से मामला उठाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाए एवं कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(iii) रसीद बुक से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय

की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नही दिया जा रहा था। कई रसीदों पर जारीकर्ता (प्रधान/सचिव) के हस्ताक्षर भी नहीं पाए गए। पिछली तिथि में भी रसीदें काटी गई थी जैसे कि रसीद संख्यां 060636 दिनांक 12/08/13 ( ₹50) के पश्चात रसीद संख्यां 060638 दिनांक 15/07/13 (₹12675) को जारी की गई थी जोकि अनियमित है। इसके अतिरिक्त रसीद बुक स्टाक रजिस्टर के सभी स्तम्भों (2,3,5,6 तथा 7 आदि पृष्ठ संख्यां 1) पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा था जोकि अनियमित है जिसके कारण रसीद बुकों के उपयोग तथा शेषों बारे स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। यह भी पाया गया कि रसीद बुक स्टोक रजिस्टर (पृष्ठ संख्यां 2) में ही  माप पुस्तिकाओं (MBs) की प्राप्तियों तथा जारी सम्बन्धी प्रविष्टियाँ की जा रही थी जोकि अनियमित है। अत: उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।  भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

**(iv) अनुदानों की प्राप्ति से सम्बन्धित कार्यालय आदेशों/दस्तावेजों का रख रखाव न करना :-**

खंड विकास कार्यालय द्वारा समय-2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदान जारी किये जाते हैं। निश्चित रूप से अनुदान की यह राशियाँ जारी करते समय खंड विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी किये जाते होंगे जिन में जारी की गई राशियों उनके शीर्षों/निर्माण कार्यो आदि का स्पष्ट विवरण दर्ज होता होगा। परन्तु यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में खंड विकास कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नही किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान मांगने के उपरान्त भी यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिस कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु जारी की गई राशियों, उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य जिनके कार्यान्वन हेतु वे जारी की गई थी के सही होने की पुष्टि सम्भव नहीं हो सकी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त अभिलेख का रख रखाव ग्राम पंचायत में किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

**व्यय:-**

11 **3.16 लाख के क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज (दर संविदा/निविदाएँ) प्रस्तुत न करना :-**

अंकेक्षण के दौरान बार-2 आग्रह करने पर भी निम्नलिखित किये गये ₹316231 के क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज दर संविदा/निविदाएँ अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण क्रय करने से पूर्व हि० प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 67 में दिए गये निर्देशों के अनुसार विहित प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि क्रय करते समय नियम 67 में दिए गए निर्देशों का पालन ही न किया गया हो। अत: इस  बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज दर संविदा/निविदाएँ इत्यादि आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए और यदि निम्नलिखित क्रय हेतु उपरोक्त नियम में वर्णित निर्देशों का पालन नहीं किया गया था तो इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवा के अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

| रोकड़ बही | माह | रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां | राशि (₹) | क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| स्वस्त्रोत तथा अनुदान | 01/14 | 81 | 6026/- | स्टील सम्बन्धी वस्तुएं |
| | | | 6500/- | रेत तथा रोड़ी |
| | 10/14 | 18 | 9000/- | स्टील सम्बन्धी वस्तुएं |
| | | 19 | 1589/- | पाईपस |
| | | | 1240/- | किराया |
| | | | 20000/- | पत्थर, रेत तथा बजरी |
| PMAGY | 10/14 | 5 | 60000/- | सेनेटरी सम्बन्धी वस्तुएं |
| | | | 65400/- | सोलर लाइट्स |
| | | | 21800/- | यथोपरि |
| | | | 1860/- | किराया |
| | | | 36600/- | पत्थर, रेत तथा बजरी |
| | 11/15 | 18 | 1600/- | इंटें, रेत तथा बजरी |
| | | | 1600/- | यथोपरि |
| | | | 1000/- | शेटरिंग |
| | | | 1000/- | यथोपरि |
| | | | 6262/- | रेत सीमेंट रोड़ी आदि का ढुलान |
| | | | 4568/- | दरवाजे तथा किराया |
| | | | 4000/- | यथोपरि |
| मनरेगा | 01/14 | 107 | 3440/- | स्टील |
| | | | 3440/- | स्टील |
| | | | 4738/- | ----- |
| | | | 7395/- | रेत |
| | | | 7352/- | रेत |
| | | | 10193/- | रेत बजरी |
| | | 109 | 8000/- | रेत |
| | | | 4628/- | सीमेंट का किराया |
| | | | 16900/- | रेत |
| | | **कुल योग** | **316231** | |

**12 पावतीयां (receipts) से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे:-**

**(i) ₹2.33 लाख के भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतीयां प्रस्तुत न करनाः-**

हि० प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय की एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है। लेकिन यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा इन निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से नहीं किया जा रहा है क्योंकि व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹232615 के क्रय की गई निर्माण सामग्री तथा अन्य भुगतानों हेतु सम्बन्धित फर्मों/कार्यालय से भुगतान की एवज में प्राप्त पावतीयां प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित पावतीयां अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण

में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में रसीदें ली जानी सुनिश्चित की जाए।

| **रोकड़ बही** | **माह** | **रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां** | **राशि (₹)** | **क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण** |
|---|---|---|---|---|
| स्वस्त्रोत तथा अनुदान | 01/14 | 81 | 6026/- | स्टील सम्बन्धी वस्तुएं |
| | | | 6500/- | रेत तथा रोड़ी |
| | 10/14 | 18 | 9000/- | स्टील सम्बन्धी वस्तुएं |
| | | 19 | 1589/- | पाईपस |
| | | | 1240/- | किराया |
| | | | 20000/- | पत्थर, रेत तथा बजरी |
| PMAGY | 10/14 | 5 | 60000/- | सेनेटरी सम्बन्धी वस्तुएं |
| | | | 1860/- | किराया |
| | | | 36600/- | पत्थर, रेत तथा बजरी |
| | 11/15 | 18 | 1000/- | शेटरिंग |
| | | | 1000/- | यथोपरि |
| मनरेगा | 01/14 | 106 | 26154/- | सीमेंट |
| | | 107 | 3440/- | स्टील |
| | | | 3440/- | स्टील |
| | | | 4738/- | ---- |
| | | | 7395/- | रेत |
| | | | 7352/- | रेत |
| | | | 10193/- | रेत बजरी |
| | | 109 | 8000/- | रेत |
| | | | 4628/- | सीमेंट का किराया |
| | | | 16900/- | रेत |
| | | **कुल योग** | **232615** | |

**(ii)** व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि माह 11/15 (रोकड़ बही PMAGY, पृष्ठ संख्यां 18) में रेत, रोड़ी आदि के ढुलान हेतु श्री धर्म चंद को ₹6262/- का भुगतान किया गया था परन्तु श्री धर्मचन्द ने ढुलान की एवज में जो पावती प्रस्तुत की थी उसमें दो राशियाँ ₹7500/- तथा ₹3750/- लिखी गई थी जोकि अनियमित है क्योंकि पावती ₹6262/- की प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए ।

**13 मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारे :-**

**(i)** अंकेक्षण के दौरान बार-2 आग्रह करने के बावजूद हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 102(4) के अंतर्गत प्रावधित मस्टर रोल जारी (issue) रजिस्टर (मनरेगा के मस्टर रोल्स से सम्बन्धित) पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे से यह प्रतीत होता है कि या तो इस रजिस्टर का रख रखाव ही नही किया जा रहा है या इसे नियमित रूप से पूर्ण नहीं किया गया था। इस कारण चयनित मासों में जिन मस्टर रोल्स द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु भुगतान किया गया था उन मस्टर रोल्स की संख्यां, जिन निर्माण कार्य हेतु वे जारी किये गये थे, उनकी अवधियों तथा क्रमवार

प्रयोग होने सम्बन्धी तथ्यों की पुष्टि नही की जा सकी। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा अन्य विभिन्न अनुदानों (मनरेगा के अतिरिक्त) के मस्टर रोल्स के अभिलेख हेतु अलग से मस्टर रोल जारी (issue) रजिस्टर का रख रख रखाव किया जा रहा है। इस रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों (वर्ष 2014-15, क्रम संख्यां 24 से 35) के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें मस्टर रोल्स जारीकर्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गए थे जोकि अनुचित है। अत: उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

**(ii)** यह भी पाया गया कि विभिन्न कार्यों हेतु मस्टर रोल्स से सम्बन्धित movement slip को पूर्ण रूप से नही भरा जा रहा था तथा कई प्रकरणों में village monitoring committee (vmc) द्वारा भी मस्टर रोल्स पर करवाए गए निर्माण कार्यो पर सत्यापन नहीं किया जा रहा था। कई मस्टर रोल्स पर अपेक्षित सम्पूर्ण विवरण नहीं भरा गया था उपरोक्त अनियमितताओं से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है। अत: इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

| **रोकड़ बही** | **माह** | **रोकड़ बही पृष्ट संख्यां** | **मस्टर रोल संख्यां/राशि** | **टिप्पणी** |
|---|---|---|---|---|
| मनरेगा | 01/14 | 107 | 1959 / 525/- | मस्टर रोल पर village monitoring committee (vmc) द्वारा निर्माण कार्य सही पूर्ण होने सम्बन्धी सत्यापन नहीं किया गया था। |
| | | | 1958 / 2450/- | यथोपरि |
| | | 108 | 1960 / 2450/- | यथोपरि |
| | | 108 | 1965 / 11040/- | मस्टर रोल से सम्बन्धी movement slip पूर्ण नही भरी गई थी |
| | | | 1964 / 16422/- | यथोपरि |
| स्वस्त्रोत तथा अनुदान | 10/14 | 18 | 5762 / 52090/- | मस्टर रोल (पिछले पृष्ठ पर) में निर्माण कार्य सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण नहीं भरा गया था तथा प्रधान द्वारा सत्यापन भी नहीं किया गया था। |
| | | | 5760 / 4800/- | यथोपरि तथा मस्टर रोल पर मस्टर रोल जारी करने की तिथि भी नहीं लिखी गई थी। |

**(iii) मस्टरोल जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर न पाए जाना :-**

यह भी पाया गया कि कई मस्टर रोल्स पर जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं थे जोकि अनियमित है। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार हैं। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

| **रोकड़ बही** | **माह** | **रोकड़ बही पृष्ट संख्यां** | **मस्टर रोल संख्या/राशि** |
|---|---|---|---|
| मनरेगा | 01/14 | 107 | 1959/525/-<br>1958/2450/-<br>1575/- |
| | | 108 | 1960/2450/-<br>1963/2100/- |

14 **निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे :-**

**(i) विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई निर्माण सामग्रियों का उन निर्माण कार्यों पर हुई की खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापन/आकलन (verfication/assessment) न दर्शाना :-**

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों का सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर हुई की खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा किया गया सत्यापन/आकलन (verfication/assessment) नहीं दर्शाया गया। जिस कारण इन निर्माण सामग्रियों का इन कार्यों के कार्यान्वन हेतु उचित एवं पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया था इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों की सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर हुई खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापन/आकलन दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

| **रोकड़ बही** | **माह** | **रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां** | **राशि (₹)** | **क्रय की गई मद/ली गई सेवा का विवरण ।** |
|---|---|---|---|---|
| स्वस्त्रोत तथा अनुदान | 01/14 | 81 | 6026/- | स्टील सम्बन्धी वस्तुएं |
| | | | 6500/- | रेत तथा रोड़ी |
| | 10/14 | 18 | 9000/- | स्टील सम्बन्धी वस्तुएं |
| | | 19 | 1589/- | पाईपस |
| | | | 20000/- | पत्थर, रेत तथा बजरी |
| PMAGY | 10/14 | 5 | 60000/- | सेनेटरी सम्बन्धी वस्तुएं |
| | | | 65400/- | सोलर लाइट्स (लाइट्स कहाँ लगाईं गई इस से सम्बन्धित विवरण/अभिलेख नहीं दर्शाया गया) |
| | | | 21800/- | यथोपरि |
| | | | 36600/- | पत्थर, रेत तथा बजरी |
| | | | 10262/- | सीमेंट |
| | | | 20525/- | यथोपरि |
| | 11/15 | 18 | 1600/- | इंटें, रेत तथा बजरी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1600/- | यथोपरि |
| | | | 4568/- | दरवाजे (दरवाजे कहाँ लगाए गए इस से सम्बन्धित विवरण/अभिलेख नहीं दर्शाया गया) |
| | | | 4000/- | यथोपरि |
| मनरेगा | 01/14 | 106 | 26154/- | सीमेंट |
| | | 107 | 3440/- | स्टील |
| | | | 3440/- | स्टील |
| | | | 4738/- | ----- |
| | | | 7395/- | रेत |
| | | | 7352/- | रेत |
| | | | 10193/- | रेत बजरी |
| | | 109 | 8000/- | रेत |
| | | | 16900/- | रेत |

**(ii) मस्टर रोल्स पर सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के हस्ताक्षर न पाए जाने बारे :-**

निर्माण कार्यों सम्बन्धी भुगतान से पूर्व सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा इन कार्यों का आकलन (assessment) किया जाता है तथा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाता है। परन्तु व्यय की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित कुछ मस्टर रोल्स पर सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाए गए तथा कुछ मस्टर रोल्स के आकलन (assessment) दर्शाए ही नहीं गए। सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के आकलन के बिना इन निर्माण कार्यों हेतु किये गये भुगतानों को सही नहीं माना जा सकता है। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए ।

| **रोकड़ बही** | **माह** | **रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां** | **राशि (₹)** | **मस्टर रोल संख्यां** | **टिप्पणी** |
|---|---|---|---|---|---|
| मनरेगा | 01/14 | 107 | 2450/- | 1958 | मस्टर रोल पर सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे |
| | | 108 | 11040/- | 1965 | यथोपरि |
| | | | 12699/- | 2165 | यथोपरि |
| स्वस्त्रोत तथा अनुदान | 01/14 | 81 | 17556/- | | सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा निर्माण कार्य का किया गया आकलन नहीं दर्शाया गया |
| | 10/14 | 18 | 52090/- | 5762 | यथोपरि |
| | | | 4800/- | 5760 | यथोपरि |
| PMAGY | 10/14 | 5 | 20522/- | 5761 | यथोपरि |
| | | | 24832/- | 5757 | यथोपरि |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 552/- | 5756 | यथोपरि |
| 11/15 | 18 | 10024/- | 5783 | यथोपरि |
| | | 9938/- | 5782 | यथोपरि |

**(iii) ग्राम पंचायत द्वारा आबंटित/जारी की गई ₹1.13 लाख के स्वीकृत पत्र व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना**

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाया गया कि निम्न लाभार्थियों को आवास योजना (IAY) के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु ₹112500/- जारी की गई थी। परन्तु बिल/वाउचर, संबन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवास निर्माण कार्य हेतु जारी स्वीकृति पत्र तथा कार्य की समाप्ति के पश्चात जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न किये जाने के कारण निम्न दर्शाए गए व्यय के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि निम्नलिखित कुछ प्रकरणों में मकान निर्माण हेतु लाभार्थियों को किश्तें प्रधान/सम्बन्धित वार्ड पंच/सचिव के इस तथ्य के सत्यापन बिना ही जारी कर दी गई थी कि वास्तव में उन्होंने निर्देशानुसार अपेक्षित स्तर का निर्माण कर दिया गया था जोकि अनुचित है। सत्यापन के अभाव में यह स्पष्ट नहीं होता है कि लाभार्थी वास्तव में किश्तें प्राप्त करने के पात्र थे तथा उन्होंने निर्देशानुसार मकान का अपेक्षित स्तर तक का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया था। अतः इस बारे स्पष्टीकरण देने के साथ-2 अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

| रोकड़ बही | रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां/माह | राशि (₹) |
|---|---|---|
| स्वस्त्रोत तथा अनुदान | 45/11/15 | 7500 |
| | | 30000 |
| | | 7500 |
| | | 30000 |
| | | 30000 |
| | | 7500 |
| | **कुल योग** | **112500** |

**(iv) निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आकलन, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियां तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ न दर्शाना:-**

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने पर भी हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 94 तथा 101 में दिए गये निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आकलन (estimate) उनकी प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियां एवं सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं (measurement books) में प्रविष्टियाँ नहीं दर्शाई गई। साथ ही माप पुस्तिकाओं के रख रखाव से सम्बन्धित रजिस्टर भी अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

**15 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान बारे :-**

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 62 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप

प्रधान, सदस्य, चौकीदार, सिलाई प्रशिक्षण अध्यापिका, की मेन आदि को मासिक मानदेय का भुगतान किया जा रहा है परन्तु पदाधिकारियों/कर्मचारियों को देय मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः मानदेय की सही राशि की पुष्टि हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

**16 अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारे :-**

अंकेक्षण के दौरान लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित वाउचर्स तथा अन्य अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कारण किये गये भुगतान के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

| रोकड़ बही | माह | रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां | राशि / विवरण | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| स्वस्त्रोत तथा अनुदान | 10/14 | 18 | 1589/- (पाईपस का क्रय) | बिल की कुल देय ₹8001/- में से ₹1589/- का भुगतान किया गया था तथा वाउचर नस्ति में बिल की छाया प्रति संलग्न थी। मूल बिल अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। |
| | | | 9442/- ( सीमेंट का क्रय) | बिल की कुल देय ₹40229/- में से ₹9442/- का भुगतान किया गया था तथा वाउचर नस्ति में बिल की छाया प्रति संलग्न थी। मूल बिल अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । |
| | | | 696/-(टेलीफोन बिल) | बिल प्रस्तुत नहीं किया गया । |
| | 11/15 | 44 | 101/-(बिजली का बिल) | यथोपरि । |
| | | | 170/-(बिजली का बिल) | यथोपरि । |

**17 स्टोर/स्टोक :-**

**(i) ग्राम पंचायत के भडार के प्रत्यक्ष सत्यापन (physical verification) बारे :-**

लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा भंडार का भौतिक सत्यापन किये जाने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार

ग्राम पंचायत भंडार का प्रत्येक 6 माह के पश्चात भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण यह प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा भंडार का भौतिक सत्यापन किया ही नही जा रहा है जोकि निर्देशों की स्पष्ट अवेहलना है। अत; इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार (नियम 73 तथा 77) अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में भंडार का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**(ii) ₹3.57 लाख की क्रय निर्माण सामग्री की सम्बन्धित रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न दर्शाना:-**

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित बिलों के भुगतान एवं क्रय की गई मदों की प्राप्ति एवं जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टोर/स्टोक/स्टेशनरी रजिस्टर्स में नहीं दर्शाई गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अतर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

| **रोकड़ बही** | **माह** | **रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां** | **राशि (₹)** | **क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण ।** |
|---|---|---|---|---|
| स्वस्त्रोत तथा अनुदान | 01/14 | 81 | 6026/- | स्टील सम्बन्धी वस्तुएं |
| | | | 6500/- | रेत तथा रोड़ी |
| | 10/14 | 18 | 9000/- | स्टील सम्बन्धी वस्तुएं |
| | | 19 | 1589/- | पाईपस |
| | | | 20000/- | पत्थर, रेत तथा बजरी |
| PMAGY | 10/14 | 5 | 60000/- | सेनेटरी सम्बन्धी वस्तुएं |
| | | | 65400/- | सोलर लाइट्स |
| | | | 21800/- | यथोपरि |
| | | | 36600/- | पत्थर, रेत तथा बजरी |
| | | | 10262/- | सीमेंट |
| | | | 20525/- | यथोपरि |
| | 11/15 | 18 | 1600/- | इंटें, रेत तथा बजरी |
| | | | 1600/- | यथोपरि |
| | | | 4568/- | दरवाजे |
| | | | 4000/- | यथोपरि |
| मनरेगा | 01/14 | 106 | 26154/- | सीमेंट |
| | | 107 | 3440/- | स्टील |
| | | | 3440/- | स्टील |
| | | | 4738/- | ----- |
| | | | 7395/- | रेत |
| | | | 7352/- | रेत |
| | | | 10193/- | रेत बजरी |
| | | 109 | 8000/- | रेत |
| | | | 16900/- | रेत |

**कुल रोग** **357082**

**18** **विविध :-**

**(i) बजट आकलन (budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारे :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 की में दिए गये निर्देशों का अनुसरण पूर्णतया नही किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित बजट आकलन निर्धारित समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित नहीं करवाया गया था जोकि अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ग")** से स्पष्ट हो जाता है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट आकलन निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार एवं पारित करवाए जाने सुनिश्चित किये जाए।

**19** **विहित रजिस्टरों का रख रखाव बारे :-**

हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर, अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, स्टोर/स्टोक रजिस्टर, आदि कई बार मांगने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका रख रखाव ही नही किया जा रहा है । अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए । भविष्य में नियमानुसार/ निर्देशानुसार रजिस्टर्स का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनको पूर्णupdate किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

**(iii) बिल पारित करने सम्बन्धी निर्देशों का पालन न करना :-**

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों को किसी के भी द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा था तथा कुछ पर सत्यापन केवल प्रधान द्वारा ही किया गया था जोकि अनियमित है । पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय राशि को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए । भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

**20** **लघु आपत्ति विवरणिका :-** अलग से जारी नहीं की गई हैं।

**21** **निष्कर्ष :-** लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(4)14/2017– खण्ड–1–4530–4533 दिनाँक–22–07–17 शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

**पंजीकृत**

1 सचिव, ग्राम पंचायत ग्याणा, विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन हि0प्र0

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881